म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / 18–19 / 64 / 351 भोपाल दिनांक 12/07/18

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
........................जिला......................,(समस्त)

विषयः–ई–(मंडी)अनुज्ञा योजना कार्य हेतु रखे जाने वाले डाटा एन्ट्री आपरेटरों को भुगतान की जाने वाली राशियों को ई–अंतरण NEFT/RTGS के माध्यम से प्रेषण करने बावत् ।

सन्दर्भः–प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का आदेश क्रमांक–1030–1031 दिनांक 29.06.18

-----00000-----

विषयायन्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रियान्वयन के लिये लेख है कि ई–(मंडी)अनुज्ञा योजना कार्य हेतु रखे जाने वाले डाटा एन्ट्री आपरेटरों को भुगतान की जाने वाली राशियों को छः माह की एक मुश्त अग्रिम राशि मण्डी निधि से निर्धारित डाटा एन्ट्री आपरेटरों के मान से ई–अंतरण NEFT/RTGS के माध्यम से निम्न प्रारूप में 31 जुलाई के पूर्व प्रेषण किया जाना है ।

(1) डाटा एन्ट्री आपरेटरों मानदेय भुगतान का विवरण

क्रमांक	अवधि	अधिकतम डाटा एन्ट्री आपरेटरों की निर्धारित संख्या	रखे गये डाटा एन्ट्री आपरेटरों की संख्या	पारिश्रमिक निर्धारित दर +नियोक्ता अशंदान+ई.एस.आई. 17.90% + सेवाप्रभार 5% + जीएसटी 18%	कुल राशि

उदाहरण –यदि कुशल कम्प्यूटर डॉटा एन्ट्री आपरेटर की कलेक्टर दर 10,660/– प्रतिमाह है तो उसपर नियोक्ता अंशदान एंव ई.एस.आई. 17.90% राशि रूपये 1,908/–, जी.एस.टी. 18% रूपये 1,919/– सेवाप्रभार 5% रूपये 533/– इस प्रकार कुल राशि रूपये 15,020/– प्रति डॉटा एन्ट्री आपरेटर के मान से भेजना होगी। यदि कलेक्टर दर में संशोधन होता है, तो तदानुसार गणना में परिवर्तन होगा ।

(2) भेजी जाने वाली राशि के लिये बैक का विवरण

क0	खाते का नाम	बैक का नाम विवरण तथा शाखा	खाता क्रमांक	आई.एफ.एस.सी.कोड
	डाटा एन्ट्री आपरेटर का मानदेय भुगतान	भोपाल को–आपरेट्रिव सेन्ट्रल बैंक, मण्डी बोर्ड शाखा भोपाल.	**151002186212**	**CBIN0MPDCAE**

उपरोक्त विवरण राशि भेजने पर ही निम्नानुसार ई–मेल पर सूचित करे ।

मुख्यालय बोर्ड को ई–मेल भेजने का पता
mpsambdeo2018@ gmail .com.

(3) अंतरण के बैक NEFT/RTGS फार्म में प्रेषक (Senders) कॉलम में मात्र KUMS (मंडी का नाम) ही अंकित करे ।

(4) यदि मिलान में कोई त्रुटि/अंतर परिलक्षित होता है, तो उसकी सूचना मुख्यालय द्वारा संबधित मंडी समिति को दी जावेगी, संबधित मंडी समिति द्वारा अपने स्तर पर तत्काल इसका निराकरण कराया जाकर अवगत करायेगें। त्रुटि की सूचना तथा समाधान का आदान प्रदान ई–मेल के माध्यम से ही होगा ।

उपरोक्त निर्देशो का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे ।

(प्रबंध संचालक महो0 के आदेशानुसार)

18/7/2018

(राजेश सिंह कौरव)
अपर संचालक(वित्त)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बोर्ड/लेखा/18–19/64/ 352

भोपाल दिनांक 12/07/18

प्रतिलिपिः–

(1) निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.

(2) अपर संचालक(बोर्ड कार्मिक)/ई–अनुज्ञा, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(3) संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय........................ (समस्त)की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर लेख है कि मण्डी समितियों से उपरोक्त निर्देशो का पालन कराना सुनिश्चित किया जावे तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाकर जिन मंडी समितियों द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार कार्यवाही नही की जा रही है, उन मण्डियों के सचिवों एवं लेखापालों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

(4) लेखाधिकारी(डीडीओ) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(5) शाखा प्रबंधक, भोपाल को–आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि0 मण्डी बोर्ड शाखा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

18/7/18

(राजेश सिंह कौरव)
अपर संचालक(वित्त)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल